

प्रेषक,

प्रिशन निदेशक,
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य प्रिशन,
विशाल काम्पलेक्स,
19-ए, विधान सभा मार्ग,
लखनऊ ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्या: एस.पी.एम.यू./यू.पी.एम्बुलेंस सेवा/12-13/ 1328-72

दिनांक ०७ सितम्बर, २०१२

विषय: उत्तर प्रदेश एम्बुलेंस सेवा के संचालनार्थ पी.ओ.एल. हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने विषयक।

महोदय,

आप अद्वितीय हैं कि उत्तर प्रदेश एम्बुलेंस सेवा योजना दिनांक 22.08.2012 से प्रदेश में लागू की गई है एवं आपके जनपद को नई एम्बुलेंस विकास खण्डों की संख्या एवं जिला अस्पतालों की संख्या के आधार पर उपलब्ध करायी जा रही हैं तथा नियमित बाहन चालकों की उपलब्धता के इक्षितात्मक संविदा बाहन चालक की सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से तैनाती हेतु निर्देश दिये जा चुके हैं जिसके लिए आपके द्वारा कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। प्रदेश की जनता को 24X7 स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु उत्तर प्रदेश एम्बुलेंस सेवा के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये बाहनों हेतु जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में संलग्न विवरण के अनुसार पी.ओ.एल. हेतु ₹ 500.00 प्रति बाहन, प्रति दिन की दर से धनराशि अवमुक्त जा रही है।

उत्तर प्रदेश एम्बुलेंस सेवा के अन्तर्गत उपलब्ध कराये बाहनों हेतु प्रत्येक बाहन हेतु एक नई लॉगबुक तैयार करा लें तथा जिस तिथि से इन बाहनों का संचालन प्रारम्भ किया जायेगा उस तिथि से ईंधन का उपयोग का सुनुपर्योग सुनिश्चित करें। प्रति माह आयोजित होने वाली जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में इन बाहनों के उपयोग (फैरियों की संख्या, रोगियों की संख्या, जे.एस.एस.के, लाभारियों की संख्या, बाहन चालकों की उपलब्धता तथा ईंधन का उपयोग आदि) का विवरण प्रस्तुत कर अतिलोकित कराया जाय। इस मर्द में अवमुक्त की जा रही धनराशि का किसी तरह का व्ययवत्तन (Diversion) न किया जाय तथा प्रशंसनीय धनराशि का व्यय-विवरण महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं एवं वित्त नियंत्रक, एस.पी.एम.यू., एन.आर.एच.एम. को प्रतिमाह उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त

भवदीय,
3/10/12
(मुकेश कुमार मेशम)
प्रिशन निदेशक।

पत्रांक: एस.पी.एम.यू./यू.पी.एम्बुलेंस सेवा/12-13/ तद्दिनांक।

- प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
 - समस्त घण्टायुक्त, उ०प्र०।
 - समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उ०प्र०।
 - महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०, लखनऊ।
 - महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ०प्र०, लखनऊ।
 - समस्त पाइलोपी अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र०।
 - समस्त मण्डलीय एवं जिला परियोजना प्रबन्धक, एन.आर.एच.एम., उ०प्र०।

(मुकेश कुमार मेशम)
प्रिशन निदेशक।